न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— मनोज कुमार मीना आर.ए.एस.

अनवान :— विविध प्रकारण संख्या 1546/2021

1— मनजीत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह उम्र 60 वर्ष जाति जटसिख निवासी चक 5 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

2— जोगेन्द्र सिंह पुत्र हाकम सिंह उम्र 70 वर्ष जाति जटसिख निवासी चक 5 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

3— बलराज सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह उम्र 43 वर्ष जाति जटसिख निवासी चक 5 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

— — प्रार्थीगण

—:: बनाम ::—

1. रवि कुमार पुत्र श्री राजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 8 एलएनपी ग्राम पंचायत व पोस्ट चक 6 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजाराम निवासी चक 8 एलएनपी ग्राम पंचायत व पोस्ट चक 6 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. बलकरण सिंह पुत्र श्री जोध सिंह निवासी चक 10 एलएनपी ग्रां. प. व पोस्ट चक 6 एलएनपी तह. व जिला श्रीगंगानगर
4. बलदेव सिंह पुत्र जोध सिंह निवासी चक 10 एलएनपी ग्रां. प. व पोस्ट चक 6 एलएनपी तह. व जिला श्रीगंगानगर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री ऋषिपाल जोशी	— —	प्रार्थीगण
2. श्री विकास बिश्नोई	— —	अप्रार्थी 1 ता 4
3. पैरोकार राज	— —	अप्रार्थी 5

—:: आदेश ::—

दिनांक :—14.07.2022

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धा[illegible]आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में त[illegible] प्रार्थीगण के परिवार का जीवन निर्वाह केवल खेती पर [illegible] काश्त करते है। [illegible] एलएनपी पटवार हल्का 6 एलएनपी भू. अ[illegible]राजका तहसील व [illegible]श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतौनी) अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2072—2075 के खाता संख्या 34/2 के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 से 25 की कुल 6.325 है. नहरी कृषि भूमि प्रार्थीया संख्या 1 मनजीत कौर पत्नी अमरजीत सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है एवं इसी चक 8 एलएनपी पटवार हल्का 6 एलएनपी भू. अमि. नि. क्षेत्र चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतौनी) अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2072—2075 के खाता संख्या 21/17 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 से 25 की कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.08.26 12:14:04 IST
Reason: SelfAttested

नाम 3163/6325 हिस्सा यानि 3.163 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 8 एलएनपी के खाता संख्या 34/2 एवं खाता संख्या 21/17 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक 8 एलएनपी पटवार हल्का 6 एलएनपी भ. अभि. नि. क्षेत्र चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतौनी) अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 56/47 के मुरब्बा नमबर 28 के किला नम्बर 1, 2 (प्रत्येक में 0.253 है.), 3/1 (0.127 है.), 8/2(0.126 है.), 9 से 12 (प्रत्येक में 0.253 है.), 13/1(0.127 है.), 18/2(0.126 है.), 19, 20 (प्रत्येक में 0253 है.), 21/1(0.228 है.), 21/2(0.025 है.खाला), 22/1(0.228 है.), 22/2(0.025 है. खाला), 23/3(0.114 है.), 23/4(0.013 है.) = 3.163 है. (3.100 है. नहरी+ 0.063 है. खाला), मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 से 25 की 6.224 है, व मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 3/2 (0.114 है.), 4, 5 (0.228 है.), 6, 7 (प्रत्येक में 0.253 है.), 8/1(0.127 है.), 13/2(0.126), 14, 15 (प्रत्येक में 0.253 है.), 16/1(0.151 है.), 17/2(0.151 है.) = 2.137 है. कुल 11.524 है. (11.461 है. नहरी+ 0.063 है. खाला) में से अप्रार्थी संख्या 1 रवि कुमार पुत्र राजाराम के नाम 1/2 हिस्सा यानि 5.762 है. कृषि भूमि एवं अप्रार्थी संख्या 2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम के नाम से 1/2 हिस्सा यानि 5.762 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। चक 8 एलएनपी के खाता संख्या 56/47 की जमाबन्दी की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक 8 एलएनपी पटवार हल्का 6 एलएनपी भू. अभि. नि. क्षेत्र चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतौनी) अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 29/25 के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1/1 (0.203 है.), 1/2(0.025 है. खाला), 2(0.228 है.), 3/1(0.114 है.), 8/2(0.126 है.), 9(0.253 है), 10/1(0.228 है), 10/2(0.025 है. खाला), 11/1(0.228 है.), 11/2(0.025 है. खाला), 12(0.253 है.), 13/1(0.127 है.), 16/2(0.102 है.), 17/1(0.102 है.), 18, 19 (0.253) है.), 20/1(0.228 है.), 20/2(0.025 है. खाला), 21/1(0.228 है.), 21/2(0.025 है. खाला), 22 से 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 4.063 है.(3.938 है. नहरी + 0.125 है. खाला) में से अप्रार्थी संख्या 3 बलकरण सिंह पुत्र जोधसिंह के नाम 2031/4063 हिस्सा यानि 2.031 है. कृषि भूमि व अप्रार्थी संख्या 4 बलदेव सिंह पुत्र जोध सिंह के नाम 2032/4063 हिस्सा यानि 2.032 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 8 एलएनपी के खाता संख्या 29/25 के जमाबन्दी की प्रतिलिपी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

चक 8 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 के पूर्वी हिस्सा में से प्रत्येक किला में 0.025 है. चौड़ा रास्ता तथा मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 5 के पूर्वी उलरी कोना में 16 फुट 6 इंच गुणा 16 फुट 6 इंच का यानि 0.0025 है. का रास्ता कई वर्षों से चला आ रहा है जिसका प्रयोग कर प्रार्थीगण एवं अन्य काश्तकार अपने रकबा में आते जाते है तथा अपने अपने रकबा में पहुंचकर अपनी काश्त व रोजमर्रा के कृषि कार्य करते आ रहे है एवं इसी रास्ता से ही आज तक प्रार्थीगण बिना किसी रूकावट के अपनी भूमि में आवाजाही कर रहे है व कृषि यंत्र, ट्रैक्टर [illegible] गाड़ी आदि लेकर आते जाते हैं। उक्त मद में वर्णित अनुसार मौका पर चल रहे रास्ता [illegible] प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारान अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए प्रयोग कर रहे है लेकिन उक्त चालू रास्ता रिकॉर्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण अक्सर विवाद का भय बना रहता है चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के परिजन झगड़ालू व जिद्दी किस्म के हैं जो प्रार्थीगण व [illegible]ग परेशान करने की नीयत से उक्त रास्ता में व्यवधान पैदा करते रहते हैं जिससे रोजमर्रा के कृषि कार्य करने में दिक्कते आती है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता के अलावा अपनी भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं ना ही हो सकता है। कानूनन प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवाजाही हेतू विगत लम्बे समय से चले आ रहे रास्ता को स्वीकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता से प्रार्थीगण व अन्य [illegible] रास्ता को प्रार्थीगण ने दिनांक 01/10/2021 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.08.26 12:14:04 IST
Reason: SelfAttested

समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण नेकनीयत है, उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थीगण अपने खेत में आवाजाही एवं काश्त के लिए रास्ता की भूमि के बदले में राजकीय नियमो के अनुसार डीएलसी की दर के अनुसार राशि अदा करने के लिए भी तत्पर है। प्रार्थीगण ने आज से पूर्व रास्ता के सम्बन्ध में भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 5 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया प्रार्थना पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है। प्रार्थना पत्र वाद कारण से बिना किसी विलम्ब के पेश है प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण का शपथ पत्र एवं सम्बन्धित जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात संलग्न है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को निम्न अनुतोष दिलवाया जावे :–

(क) :– चक 8 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 के पूर्वी हिस्सा में से प्रत्येक किला में 0.025 है. चौड़ा रास्ता तथा मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 5 के पूर्वी उतरी कोना में 16 फुट 6 इंच गुणा 16 फुट 6 इंच का यानि 0.0025 है. का रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा उक्त रास्ता का रकबा भी सम्बन्धित खातेदार के रकबा में से कम किया जाये।

(ख) :– उक्त रास्ता का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(ग) :– प्रार्थीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) :– अन्य कोई अनुतोष जो प्रार्थी के हित में माननीय न्याालय उचित समझे दिलाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की चरण सं0 5 जिस प्रकार से दर्ज की गई है कतई स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीयान के रकबा चक 8 एल एन पी के मु0 न0 41 के किला न0 5,6,15,16,25 में से कोई रास्ता नहीं चल रहा, ना ही प्रार्थीयान के इस्तेमाल करने का प्रश्न पैदा होता है बल्कि प्रार्थीयान अपने निवास स्थान 5 एल एन पी से पक्की सडक से जो उतर से दक्षिण को जा रही है तथा आगे जाकर पश्चिम से पूर्व को रास्ता(चक 15 बी एन डब्ल्यू में) चल रहा है जो कि मु0 न0 26 के किला न० 25 तक आता है व मु० न० 26 के किला न0 25,16,15,6,5 में से चल रहे रास्ता जो चक 8 एल एन पी के मन 42 के किला न0 25 को आकर लगता है से अपने रकबा मु0 न0 42 व 43 में आवागमन कर रहे है, इस प्रकार पहले से ही प्रार्थीयान के रकबा के लिए रास्ता चल रहा है, अतः किसी प्रकार से नये रास्ता पर आवश्यकता नहीं हो सकती. प्रार्थीयान ने पटवारी [illegible] ने इस पहले से चल रहे रास्ता के तथ्य को जानबूझकर छुपाया [illegible] अजमेर द्वारा रिवीजन/टाए 1426/हनुमानगढ/2021 जगदीश बनाम केसराराम आदि जिसकी नकल शामिल है में यह स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया है [illegible] सुविधाजनक रास्ते को कायम का प्रावधान नहीं कर करती है और जब किसी काश्तकार के पास alternative means of access मौजूद है तो वह इस धारा के अंतर्गत सुविधाजनक रास्ते के नाम पर नये रास्ते की कायम की मांग नहीं कर सकता है।'' इस प्रकार जब प्रार्थीयान के रकबा के लिए उनके निवास स्थान 5 एल एन पी से उपरोक्त पक्की सडक व रास्ता जो मु0 न0 26 के किला न0 25 को आकर लगता है व मु0 न0 26 के किला न0 25,16,15,6,5 में से रास्ता प्रार्थीयान के मु0 न0 42 के किला न0 25 को आकर लगता है तो स्पष्ट है कि अन्य alternative [illegible] मांग कर सकते है ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.08.26 12:14:04 IST
Reason: SelfAttested

पुनः रिपोर्ट मंगवायी जानी आवश्यक है जिससे सही स्थिति स्पष्ट हो सकें। राजस्व मण्डल ने अपने उपरोक्त निर्णय में भी यही अंकित किया है कि न्यायालय नियम 68–69 के प्रावधानों की कठोरता से पालना करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में नवीन मौका रिपोर्ट तैयार कर निर्धारित 90 दिन की अवधि में प्रकरण का विधि अनुसार अंतिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें क्योकि उपरोक्त मामला में भी अन्य रास्ता होते हुए जानबूझकर एक काश्तकार को हानि पहुंचाने की नियत से रास्ता के सम्बंध में गलत मांग की गई थी। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 6 भी गलत होने से स्वीकार नहीं है। यह कहना गलत है कि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो जबकि प्रार्थीयान के रकबा के लिए ऊपर लिखे अनुसार अन्य वैकल्पिक उपचार अर्थात अन्य रास्ता उपलब्ध है तथा इसी से आवागमन कर रहे है जो कि निवास स्थान से प्रस्तावित रास्ता की अपेक्षा लम्बा है, इसी कारण जानबूझकर सुविधाजनक रास्ते के नाम पर नये रास्ते की मांग की गई है जबकि नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 7 भी गलत होने से स्वीकार नहीं है ना तो प्रार्थीयान दिनाक 01.10.21 को अथवा अन्य किसी रोज यान से मिले ना ही नये रास्ते के लिए कोई मांग करने का प्रश्न था। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 8 भी गलत होने से स्वीकार नहीं है, पहले से ही अन्य रास्ता प्रार्थीयान के रकबा में जाने के लिए उपलब्ध है, अतः नये रास्ता की मांग नहीं की जा सकती थी। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 9 गलत होने से स्वीकार नहीं है। राजस्व मण्डल के उपरोक्त निर्णय के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा कोई नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने के है। उजरात मजीद – मौके पर मु0 न0 43 के किला न0 1 से 5 को खाला चल रहा है तथा मु0 न0 43 का नाका किला न0 1 पर खुलता है, अतः यदि कोई रास्ता मु0 न0 41 में स्वीकृत किया जाता है तो खाला व नाका होने के कारण चलना संभव भी नहीं होगा तथा पुलिया भी बनानी पडेगी जबकि पुलिया के लिए कोई कथन नहीं किया गया। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे क्योकि प्रार्थीयान ने जानबूझकर अप्रार्थीयान को तंग परेशान करने खर्चा से जेरवार करने की गलत नियत से झूठे व गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया, न्यायालय के समक्ष कलीन हैंड से नहीं आये, अतः अप्रार्थीयान को प्रार्थीयान से विशेष हर्जाना भी दिलाया जावे।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की मुख्य बहस यह रही कि मुरबा नम्बर 42 में प्रार्थी की भूमि है एवं मुरबा नम्बर 43 में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की भूमि है। प्रार्थी द्वारा मुरबा नम्बर 41 से रास्ते की मांग की है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त– **2022(1) RRT 196 RAJASTHAN HIGH COURT** प्रस्तुत किया गया। वकील अप्रार्थीगण की मुख्य बहस यह रही कि सादुशहर तहसील का मुरबा नम्बर 26 व श्रीगंगानगर का मुरबा नम्बर 42 दोनों साथ सटते हैं। मुरबा नम्बर 26 में पूर्व से स्वीकृत रास्ता है जो आज भी चल रहा है, प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता है जो मुरबा नम्बर 42 से सटा हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस के समर्थन में राजस्व पटवारी सुन्दरपुरा/धर्मसिंहवाला तह. सादुलशहर द्वारा तैयार मानचित्र एवं मौके पर चल रहे रास्ते के फोटोग्राफ्स पेश किये एवम् न्यायिक दृष्टान्त– **2019(2) RRT 1543 BORD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER, 2021(2) RRT 1286 BORD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER** प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायिक दृष्टान्त का अध्ययन किया गया। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मुख्यतः वैकेल्पिक रास्ते का अभाव व रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता के बिन्दु पर विचार किया जाता है। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.08.26 12:14:04 IST
Reason: SelfAttested

किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 में गैरमुमकिन वैकल्पिक रास्ता है। सुविधा के आधार पर रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 14.07.2022 को जारी या जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.08.26 12:14:04 IST
Reason: SelfAttested